



निकारानी 1093-J-15

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश शासन, ग्वालियर (म.प्र.)

केम्प- जबलपुर

499

अधिकारता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार 2/3 आवेदक
2 APR 2015
मधोक्षिक
मिशनर, जबलपुर संभाग

: उमेश कुमार तिवारी पिता श्री मोहनलाल तिवारी
उम्र 44 वर्ष, पेशा-कृषि कार्य, निवासी-
गुप्तेश्वर जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक

: तहसीलदार (नजूल), गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.)

आवेदन पत्र म.प्र. भू.रा. संहिता की धारा 50 के अंतर्गत

आवेदक न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर, जबलपुर मामला क्र.
428/अ-6/12-13 वास्ते अभिलेख दुरुस्ती (रिकार्ड अद्यतन) के आवेदन
के संबंध में।

1. यह कि, आवेदक ग्राम पुरवा प.ह.नं. 28/33 भूमि खसरा नं. 21
वर्तमान में 21/1, 21/2 पर बतौर मालिक काबिज की हैसियत से
कृषि कार्य कर रहा है एवं उक्त भूमि पर आवेदक का पक्का मकान
अन्य निर्माण इत्यादि लगा हुआ है।
2. यह कि आवेदक की उक्त सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय सक्षम
अधिकारी के द्वारा अर्बन लैण्ड सीलिंग का प्रकरण दर्ज किया गया
जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं थी एवं आवेदक को ज्यों ही
न्यायालय सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय की जानकारी
लगी उसके द्वारा सक्षम अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 28/8/2011
को पारित आदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त
कर दिया गया एवं उक्त आदेश के परिपालन में आवेदक द्वारा पुनः
रिट याचिका प्रस्तुत कर दिनांक 4/1/2011 को भी उच्च न्यायालय

R
2/4

उमेश तिवारी

